उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2
संख्या-623/ग्यारह-2-25-9(42)/17-टी.सी.73-उ0प्र0जी0एस0टी0नियम-2017-आदेश-(349)-2025
लखनऊ; दिनांकः 21-05-2025

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का अग्रतर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात्:-

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (सड़सठवाँ संशोधन) नियमावली, 2025

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1	(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (सड़सठवाँ संशोधन) नियमावली, 2025 कही जायेगी। (2) यह दिनांक 27 मार्च 2025 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।
नियम 164 का संशोधन	2	उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 में, नियम 164 में,- (i) उपनियम (4) में, शब्द "उक्त उपधारा के अधीन अधिसूचित तारीख को या इससे पूर्व केवल उक्त सूचना या कथन या आदेश में माँग किए गए कर की पूर्ण रकम" के स्थान पर शब्द "उक्त उपधारा के अधीन अधिसूचित तारीख़ को या इससे पूर्व केवल उक्त उपधारा में उल्लिखित अवधि से संबंधित कर की पूर्ण रकम और उक्त सूचना या कथन या आदेश में माँग किए गए कर" रख दिये जाएंगे । (ii) उपनियम (4) के पश्चात निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:- स्पष्टीकरण- उन मामलों में जहां अधिनियम की धारा 128क की उपधारा (1) में उल्लिखित कोई सूचना या विवरण या आदेश में, जिसमें आंशिक रूप से उक्त उपधारा में उल्लिखित अवधि के लिए और आंशिक रूप से उक्त उपधारा में उल्लिखित अवधि से भिन्न किसी अन्य अवधि के लिए कर की मांग सम्मिलित है, ऐसे किसी भी कर, ब्याज और शास्ति के लिए कोई प्रतिदाय उपलब्ध नहीं होगा, जिसका उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (सड़सठवां संशोधन) नियमावली, 2025 के प्रारंभ होने से पूर्व संपूर्ण अवधि के लिए पहले ही उन्मोचन कर दिया गया है। (iii) उपनियम 7 में, पहले परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित

			परंतुक बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:- "परन्तु यह और कि जहाँ धारा 128 क की उपधारा (1) में उल्लिखित कोई सूचना या विवरण या आदेश में,जिसमें आंशिक रूप से उक्त उपधारा में उल्लिखित अवधि के लिए और आंशिक रूप से उक्त उपधारा में उल्लिखित अवधि से भिन्न अन्य अवधि के लिए कर की मांग भी सम्मिलित है, आवेदक अपील वापस लेने के बजाय अपील प्राधिकारी या अपील न्यायाधिकरण को सूचित करेगा कि वह उक्त उपधारा में उल्लिखित अवधि के लिए अपील को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है और संबंधित प्राधिकारी उक्त अनुरोध पर ध्यान देने के पश्चात उक्त उपधारा में उल्लिखित अवधि से भिन्न अन्य अवधि के लिए ऐसा आदेश पारित करेगा जिसे वह उचित और न्यायसंगत समझे । स्पष्टीकरण - शंका को दूर करने के लिये, यह स्पष्ट किया जाता है कि अपील आवेदन धारा 128 क के उपखण्ड (3) के प्रयोजनार्थ 1 जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2020 या उसके भाग की अवधि के लिये उक्त सूचना के विस्तार तक वापस लिया हुआ समझा जायेगा।"

आज्ञा से,

Digitally signed by M DEVARAJ
Date: 21-05-2025 09:40:49

(एम0 देवराज)
प्रमुख सचिव।